

प्रेस-विज्ञप्तिथाना सिधारी

मारपीट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना.. दिनांक 16.03.2023 को वादी मुकदमा श्री इन्ताफ उर्फ पप्पू पुत्र स्व० याकूब ग्राम व पोस्ट जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में हुए बच्चो के विवाद / रंजिश को लेकर खुद के लड़के शहदाब उर्फ भोनू को गाली गुप्ता तथा जान से मारने की धमकी देते हुये लाठी डण्डे व लात घुसो से मारना पीटना जिससे उसका बेहोश हो गये, के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 117/2023 धारा 34/323/308/504/506 भादवि बनाम -1. जाकिर पुत्र अय्युब, 2. आमीर पुत्र रूस्तम, 3. तबरेज पुत्र भोनू, 4. आरिफ पुत्र तालिब, 5. समीर पुत्र रिकू निवासीगढ़ जाफरपुर, 6. अजीम पुत्र फैसल निवासी खालिसपुर थाना जीयनपुर, 7. गदर पुत्र सहलोल निवासी भदया थाना राजे सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर, 8. 1— 2 लड़के नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ०नि० अवधेश कुमार द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 18.03.2023 को उ०नि० अवधेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त

1. जाकिर पुत्र अय्युब निवासी जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष 2. अजीम पुत्र फैसल निवासी खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर हाइडिल तिराहा जाफरपुर से समय 12.45 बजे गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

मु०अ०सं० 117/2023 धारा 34/323/308/504/506 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 117/2023 धारा 34/323/308/504/506 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. जाकिर पुत्र अय्युब निवासी जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष
2. अजीम पुत्र फैसल निवासी खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष

बरामदगी –

एक अदद लकड़ी का डण्डा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ.नि. अवधेश कुमार मय हमराह थाना सिधारी आजमगढ़

थाना दीदारगंजकिशोरी को बहला-फूसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण- दिनांक 05.03.2023 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की नाबालिग लडकी को अजय पुत्र तिलकू 2.तिलकू पुत्र श्यामनरायन 3.स्वभावती पत्नी तिलकू 4. सुनैना पुत्री तिलकू बिन्द साकिनान ग्राम सुघरपुर थाना दीदारगंज बहला फूसलाकर भगा ले गये है, जिसके आधार पर थानास्थानीय पर मु०अ०सं० 55/23 धारा 363/366/120बी भादवि बनाम 1- अजय पुत्र तिलकू 2.तिलकू पुत्र श्यामनरायन 3.स्वभावती पत्नी तिलकू 4. सुनैना पुत्री तिलकू बिन्द साकिनान ग्राम सुघरपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 18.03.2023 को उ०नि० अरविन्द कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अजय पुत्र तिलकू सा० सुघरपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़, को कुशलगांव बाजार स्टेट बैंक आफ इण्डिया के पास से समय करीब 06.50 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. अजय पुत्र तिलकू सा० सुघरपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ०नि० अरविन्द कुमार यादव थाना दीदारगंज आजमगढ़।
2. हे०का० प्रमोद यादव थाना दीदारगंज आजमगढ़।
3. म०का० कृष्णा शुक्ला थाना दीदारगंज आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर

चेकिंग के दौरान शांति अपराधी गांजा के साथ गिरफ्तार

आज दिनांक 18.03.2023 को उ0नि0 कन्हैया लाल मौर्य मय हमराह, जिगनी पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान अभियुक्त महेश यादव S/O स्व0 राम अवध निवासी असौसा थाना मेहनगर आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष को 2 किलो 840 ग्राम अवैध गांजा के साथ ग्राम असौसा से समय करिब 7:40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 107/23 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु.अ.सं. 107/23 धारा 8/20 NDPS ACT एकट थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 349/2004 धारा 302 IPC थाना मेंहनगर,
2. मु.अ.सं. 350/2004 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना मेंहनगर
3. मु.अ.सं. 249/2015 धारा 147/148/149/307/452 भादवि थाना मेंहनगर,
4. मु.अ.सं. 153/2018 धारा 147/148/149/302/307/120B IPC & 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना देवगाँव
5. मु.अ.सं. 159/2021 धारा 386/504/506 IPC थाना तरवा
6. मु.अ.सं. 184/2022 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी
7. मु.अ.सं. 308/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

महेश यादव S/O स्व0 राम अवध निवासी असौसा थाना मेहनगर आजमगढ़

बरामदगी -

2 किलो 840 ग्राम गांजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 कन्हैया लाल मौर्य, थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

आरक्षी धर्मवीर प्रजापति, थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

आरक्षी सुरेन्द्र कन्नौजिया, थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

थाना मुबारकपुर

महिला के साथ छेड़खानी करने व दुष्कर्म का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना- दिनांक 23.02.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी से अभियुक्त अपालु उर्फ अहमद नवाज पुत्र नेसार अहमद सा0 पुरासोफी थाना मुबारकपुर आजमगढ़ द्वारा छेड़खानी एवं जबरदस्ती दुष्कर्म करने का प्रयास एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 85/2023 धारा 376/511/354/506/294 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 18.03.2023 को उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह मय हमराह मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अपालु उर्फ अहमद नवाज पुत्र नेसार अहमद सा0 पुरासोफी थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को सिकठी शाह का पंजा ईदगाह से समय करीब 11.05 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- अपालु उर्फ अहमद नवाज पुत्र नेसार अहमद सा0 पुरासोफी थाना मुबारकपुर आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 85/2023 धारा 376/511/354/506/294 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

हे0का0 रविन्द्र सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

थाना जीयनपुर

अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 18/03/2023 को उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान महावतगढ़ पुलिया पोखरा के पास से समय करीब 10.25 बजे अभियुक्त रोहित चौहान पुत्र शिवधनी चौहान निवासी महावतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 01 अवैध तमन्चा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 - 177/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 177/2023 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

रोहित चौहान पुत्र शिवधनी चौहान निवासी महावतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी –

01 अवैध तमन्चा 12 बोर

01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद ।

आपराधिक इतिहास- रोहित चौहान पुत्र शिवधनी चौहान निवासी महावतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	52/2020	147,323,452,504,506 भादवि व 3(1)द,ध,3(2)5 sc/st act	जीयनपुर	आजमगढ़
2	177/2023	3/25 आर्म्स एक्ट	जीयनपुर	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह थाना कोतवाली जीयनपुर, आजमगढ़ ।